

हा।

गैरसायल को अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 29/12/2017 को पेश हो।

तहसीलदार  
(नामो रियासत)


939  
15/12/17

29/12/2017 को पत्रावली पेश है। गैरसायल के श्रीराम जगदीश पुत्र सीताराम जोत हरिजन निवासी लाम्पोबाई 3 फुट 6 इंच कुशासन राम इत्यादि पत्रावली का खरोखी किय संकेत में विवरण इस प्रकार है कि पत्रावली संख्या लाम्पोबाई ने मीना लाम्पोबाई के ख 687 246 खण्ड 0-03 है। किल्ला भूमि में 20-01-2017 पर समस्त 2017 के बादा 2500 मात्रा में कलप कर अतिरिक्त के खर्च में श्रीराम के खर्च के गैर सायल के निम्न पेश किया है। जिस पर 25-यमान में राजस्व 2500 की कर गैर सायल के निम्न राजस्व 25-यमान अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया गैर सायल के श्रीराम, जगदीश पुत्र सीताराम जोत हरिजन निवासी - लाम्पोबाई 3 फुट 6 इंच कुशासन राम इत्यादि है। जिस गैर सायल का राजस्व 2500 के रूप में अतिरिक्त पर अतिरिक्त होने से अतीवरी को पेश किया गया राजस्व 2500 की पर अतिरिक्त अतिरिक्त से अतिरिक्त रूप से अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त का लगाना का खर्च 2500

(श्रीराम)  
(श्रीराम)

*[Handwritten signature]*

जुर्मना २।११ ०६ | - ६०। रूपमे लख कामम किये गये है।  
पश्चिमी एका भागमे लखी भी भी सिडबे (१००) लुं दिशि  
जुर्मना २।११ की वरुणी हेतु लख जलर पडोवणी जुर्मना  
मोग काश्मीर हेतु डार ए तदलीक डार निरलेवणी  
को जोड़ी जलकर पश्चिमी फेसल सुमाट घेकर नाल  
से कम वी निर्णय दान हे २०।१२।२०१७ की रूपे  
कामाकम मे सुनाया गया।

  
तहसीलदार, रिवां वड़ी  
(नागौर - राजस्थान)